संख्या-45/2019/1054/क.नि.प्र./26-3-2019-19(20)/2019

प्रेषक,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 13 दिसम्बर, 2019
समाज कल्याण विभाग

विषय:- अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु अवशेष कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1469/ स.क./विकास/ललितपुर/(125)/2019-20 दिनांक 11 नवम्बर,2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-16/2019/319/क0नि0प्र0/26-3-2019-19(20)/2019 दिनांक 08 मार्च,2019 के संदर्भ में निम्न विवरण के अनुसार कुल लागत रू0 981.45 लाख (रू. नौ करोड़ इक्यासी लाख पैंतालिस हजार मात्र) के सापेक्ष अधूरे निर्माण कार्यो का पूर्ण कराने हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 220.00 लाख (रू. दो करोड़ बीस लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

जनपद-ललितपुर					
विकास खण्ड का नाम	**ग्राम का नाम**	**कार्य का नाम**	**प्रशासकीय स्वीकृति**	**पूर्व स्वीकृत धनराशि**	**आवंटित की जा रही धनराशि**
ताल बेहट	खादी	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	98.96	10.00	22.00
जखौरा	लागौन	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	99.63	10.00	22.00
	मैनवारा	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	98.87	10.00	22.00
	कारी पहाड़ी	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	99.46	10.00	22.00
बिरघा	बाला बेहट	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	99.13	10.00	22.00
	सिमरा	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	88.19	10.00	22.00
	ककौरिया	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	99.53	10.00	22.00
	टेनगा	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	99.60	10.00	22.00
	निवउआ	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	99.15	10.00	22.00
	बछलापुर	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	98.93	10.00	22.00
		योग-	981.45	100.00	220.00

(रू. दो करोड़ बीस लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले अवशेष कार्यो हेतु स्वीकृत आंगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर कार्यदायी संस्था उ.प्र. राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड से कार्य कराया जायेगा।
2. निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था उ.प्र. राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 से शीघ्र एम.ओ.यू. अनुबल्न्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त कार्य मद में अधिष्ठान व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र अवशेष कार्यो को पूरा किया जायेगा। प्रयोजना के निर्माण के बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए निर्माण इकाई उत्तरदायी होगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों तथा योजना संचालन संबंधी निर्गत शासनादेश संख्या-664/क.नि.प्र./26-3-2014-13(62)/2013 दिनांक 24 सितम्बर,2014 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।
5. प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
6. संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. स्वीकृत की जा रही परियोजना की लागत में सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कार्य के प्रगति/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स इत्यादि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के सदुपयोग प्रमाण-पत्र देना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक- 4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-793-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाअें का विकास(के.100/रा.0-के.)-24- वृहत निर्माण् कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019- 231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

पृ.संख्या-45/2019/1054/क0नि0प्र0/26-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,उ.प्र. प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी, ललितपुर।
3. कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, ललितपुर।
4. वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण,उ.प्र. लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास), ललितपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ।
7. वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।